डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2001—आश्विन 24, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-381/2001/वा.क./पांच (56).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कालम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 1 नवम्बर से 7 नवम्बर 2001 तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

अनुसूची

माल का वर्ग	कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)
पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल आइल, लाइट डीजल आइल (एल.डी.ओ.), तेन्दू पत्ता, इमारती लकड़ी, लुब्रीकेन्ट्स और बांस को	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर 50 प्रतिशत घट जाए अथवा कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए, जो भी अधिक हो.	1. जबकि माल का विक्रय छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विज्ञान महाविद्यालय मैदान रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदर्शनी 2001 परिसर में प्रदर्शनी की विनिर्दिष्ट कालावधि में उपभोक्ताओं को किया जाये और ऐसा व्यापारी :—

(1)	(2)	(3)
छोड़कर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के संलग्न अनु-सूची 2 में विनिर्दिष्ट माल.		(एक) प्रदर्शनी परिसर में उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु उसके द्वारा प्रविष्ट माल की सूची ऐसे प्रवेश के समय, (दो) संलग्न प्रारूप में दैनिक विक्रयों की सूची द्वितीयक में अगले दिन, परन्तु 11.00 बजे पूर्वान्ह के बाद नहीं प्रस्तुत करेगा तथा उस सूची की द्वितीयक में अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा, और (तीन) प्रदर्शनी की समाप्ति पर प्रदर्शनी समाप्त होने के तीन दिन के भीतर ऐसे माल की सूची जो विक्रय न होने से बच गया हो, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदर्शनी 2001 परिसर में वाणिज्यिक कर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (कर्त्तव्यरत) को प्रस्तुत करेगा. 2. प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं को किये गये विक्रयों के संबंध में प्रारूप 12 में एक पृथक् विवरणी ऐसी विवरणी के अनुसार देयकर के भुगतान के सबूत में प्रारूप 39 में चालान की एक प्रति के साथ समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रदर्शनी के अंतिम दिन के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें : परन्तु जहां विवरणी उक्त कालावधि में प्रस्तुत नहीं की गई हो और उसके पश्चात् प्रस्तुत की गई हो, वहां ऊपर पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में किया गया विलम्ब, तकनीकी कारणों से होने पर आयुक्त द्वारा और अन्य कारणों से होने पर छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण दोष पर विचार करते हुए, विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से प्रारंभ होने वाली तथा उस तारीख तक जिसको कि ऐसे कर का वास्तविक भुगतान किया गया है, समाप्त होने वाली कालावधि के लिये व्यापारी द्वारा विवरणी के अनुसार देय कर की राशि पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए माफ किया जाएगा. **स्पष्टीकरण**:—जहां वह अवधि जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है, एक माह की कालावधि से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना अनुपातिक रूप से की जायेगी. 3. मेला परिसर में लाये गये माल की प्रविष्टि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगी.

नोट :—इसमें इसके पूर्व प्रयोग लिए गये पद "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न हो.

प्रारूप
प्रदर्शनी परिसर में किये गये दैनिक विक्रयों की सूची

दिनांक . . . .

अनु. क्र.	बिल नम्बर तथा दिनांक	क्रेता का नाम एवं पूर्ण पता	माल का वर्ग	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

योग . . . .

स्थान :

दिनांक :

व्यवसायी अथवा उसके द्वारा
अधिकृत एजेण्ट के हस्ताक्षर.

अभिस्वीकृति

मेसर्स . . . .(व्यवसायी का नाम व पता) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन . . . .(वृत का नाम) . . . . संभाग का नाम में रुपये . . . . (शब्दों में) . . . . की सूची प्राप्त हुई.

तारीख . . . .

समय . . . .

(11.00 बजे पूर्वान्ह के बाद नहीं)
सील . . . .

प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी
(कर्त्तव्यरत)
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदर्शनी 2001
के हस्ताक्षर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-10-381/2001/वा. क./पांच (56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-381/2001/वा. क./पांच (56), दिनांक 16 अक्टूबर 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 16th October 2001

NOTIFICATION

No. F-10-381/2001/CT/V (56).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (1) of the schedule below from the payment of tax under Section 9 of the said Act to the extent specified in column (2) for the period from the 1st November 2001 to 7th November 2001 (both days inclusive) subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said schedule :—

SCHEDULE

Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)
Goods specified in schedule II appended to the C.G. Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) excluding Petrol, High Speed Diesel Oil, Light Diesel Oil (L.D.O.), Tendu leaves, Timber, Lubricants and Bambdo.	Partly so that the rate of tax is reduced by 50% or, to reduce the rate of tax to 5% under sub-section (1) of Section 9 whichever is Higher.	(1) When the goods are sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 to the consumers in the premises of Chhattisgarh Rajyotsava Exhibition-2001 held at Science College Ground Raipur during prescribed periodof Exhibition and such dealer furnishes to the Officer-in-charge (on duty) Commercial Tax Officer, Exhibition Premises, Raipur :— (i) a list of goods entered by him in the Exhibition premises at the time of entry of such goods for sale to consumers, (ii) a list in duplicate of the daily sales in appended form to be furnished not later than 11.00 a.m. of the next day and obtain acknowledgement on the duplicate copy thereof, and (iii) a list of goods remaining unsold at the end of the Exhibition within three days of the close of the Exhibition. (2) Furnishes a separate return in form 12 in respect of sales made to the consumers in the Exhibition to the appropriate Commercial Tax Officer within fifteen days from the last day of the Exhibition along with a copy of challan in form 39 in proof of payment of the tax payable according to such return. Provided that where the return is not furnished within the said period but is furnished thereafter, the delay in the submission of the return within the time specified in paragraph 2 above which is due to technical reasons, shall be condoned by the Commissioner, Commercial Tax and in other reasons by the State Government in the commercial taxes department considering the merits of each case subject to the payment of interest at the rate of five percent, per month by the dealer on the amount of tax payable according to the return for the period commencing from the date

(1)	(2)	(3)
		up to which such return was due and ending with the date on which such tax was actually paid by him. **Explanation:**—Where the period for which interest is payable covers a period less than a month the interest payable in the respect of such period shall be computed proportionately. 3. The particulars of the goods brought in the Exhibition premises shall be subject to the verification by any officer authorised for the purposes under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

Note :—The expression "consumers" used herein before means any person other than a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

FORM

List of daily sales in the Exhibition premises

Date..................

S. No.	Invoice No. & date	Name of the purchaser & full address.	Class of goods	Value
	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Total ....

Place.................................

Date.................................

Signature of the dealer or his authorised agent.

ACKNOWLEDGEMENT

Received from..(Name and address of the dealer) holding registration certificate No. ....under Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 in .... (name of the circle).......................................(Division), the list of sales effected on ....(date) for Rupees..(in figures)..(in words).

Date....................................

Time.................................

(Not later than 11.00 A.M.)
Seal....................................

Signature of the Commercial Tax
Officer-in-charge (on duty)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.